**International Journal of Humanitiesandsocialscience Research**
**www.socialsciencejournal.in**
**ISSN: 2455-2070**
**Received: 19-05-2024, Accepted: 10-06-2024, Published: 03-07-2024**
**Volume 10, Issue 4, 2024, Page No. 3-7**

# संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लैंगिक विशेषाधिकारों का नेतृत्व

**ज्योति[1], अजीत सिंह[2]**
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की, उत्तराखंड, भारत
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की, उत्तराखंड, भारत

## सारांश

‘‘मै केवल मानव अधिकारो को मान्यता देती हूँ अन्य किसी तरह के अधिकारो को नहीं। मैं पुरुषों के अधिकार और स्त्रियो के अधिकारों के बारे मे कुछ नहीं जानती।’’

(एजिलीना ग्रिम्के (1836)

ग्रिम्के का यह वक्तव मानव सभ्यता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि मानव अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता अतः अधिकार वे है, जो जीवन जीने के लिए प्रदत्त किये जाते है, जब ये अधिकार समाज में महिलाओ को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से निर्णय लेने को प्रतिबद्धता प्रदान करते हैं, तो स्टे महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महिला मानव सभ्यता की एक केन्द्र बिन्दु है जिसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है यदि समाव को विकास क्रम में ऊपर रखना है तो महिलामा को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

**मूल शब्दः** संयुक्त राष्ट्र संघ, महिला, विशेषाधिकार, वैश्विक, विकास

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला मुक्ति एवं महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रयासो– व मजबूती प्रदान की है।

संघ ने स्थापना के साथ ही महिला मानव अधिकारो संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। विशेष रूप से महिला मानवाधिकारों के उत्थान हेतु किये गए प्रयासो से विभिन्न समझौते एवं इकरार नामो मे महिलाओं के राजनैतिक अधिकारो पर समझौता, विवाहित महिला की राष्ट्रीयता पर समझौता, विवाह की सहमति विवाह की न्यूनतुम आयु एवं विवाह के पंजीकरण पर समझौता एवं महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेद भाव पूरक नीतियों एवं कार्यों को समाप्त करने सम्बन्धी सभी (convanstion) प्रथा परिपाटियो को सम्मिलित किया जा सकेगा।

अपने स्थापना काल से ही संयुक्त राष्ट्र ग्रंथ मे महिला मानवाधिकार का विचार अस्तित्ववाने हो गया, व। अतः महिलाओं की समानता का मुद्दा 1945 में और 1996 में महिलायों की’’ स्थति के बारे में आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों का मुख्य विषय रहा।

## महिला अधिकारो की आवश्यकता

महिला अधिकारो को समाज में लिंग समानता को बढ़ावा और महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को सुधारने महिला अधिकारो का वर्चस्व आवश्यक है। क्योकि वे सामाजिक अधिकार सांस्कृ–तिक अधिकार राजनैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार इन अधिकारी के द्वारा अपनी पहचान को स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त कर सके तथा अपनी स्वायत्तता का निर्धारण कर सके। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों द्वारा मौलिक मानवाधिका मानव की गरिमा एवं मूल्य तथा सभी छोटे–बडे राष्ट्रो एवं महिला और पुरुषो में समान अधिकार में विश्वास व्यक्त किया गया।

अरुण चतुर्वेदी के अनुसार, ‘‘संयुक्त राष्ट्र संघ आरम्भ से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. चार्टर के अनुच्छेद 1, 8, 13 (प) इ ए 55 (बं) 62 (2) और दूसरे अन्तरर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्र इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर महिला मानवाधिकारो को विकसित करने एवं स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अधिसमय और घोषणा के अतिरिक्त धरातलीय स्तर पर विकसित किये गये संस्थानात्मक तन्त्रों के माध्यम से भी प्रयासरत् है।

## अधिसमय तथा घोषणाए

संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के अधिकारों को लेकर जा भी अन्तरष्ट्रिीय संधियाँ या अभिसमय, घोषणाएं) की गई है उन्हें राष्ट्रो द्वारा पालन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। जिन देशो ने इन संधियो या समझौतो को मान्यता प्रदान की है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय– समय पर किये गये अभिसमय व घोषणाएं इस प्रकार हैं।

## महिलाओं के राजनीतिक अधिकारो पर अभिसमय (1952)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1952 की ‘महिलाओ के राजनीतिक अधिकारो पर अभिसमय’ हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। यह अभिसमय 7 जुलाई 1954 को क्रियान्वित हुआ भारत में इस अभिसमय पर 29, अप्रैल, 1953 को हस्ताक्षर किए तथा 1 नवम्बर, 1961 को इसकी पुष्टि की गई।

इस अभिसमय के माध्यम से सदस्य राष्ट्रों द्वारा महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषो के समान चुनाव मे वोट देने, राष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित सरकारी संरचनाओ का चुनाव लड़ने, तथा राष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित सरकारी दफ्तरी एवं सरकारी कार्यो में भागीदार का अधिकार दिया गया।

## विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय (1957)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा न्यूयार्क में 26 जनवरी, 1957 में विवाहित महिलाओ की राष्ट्रीयता से संबंधित अभिसमय हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया।

इस अभिसमय पर भारत ने 15 मई 1957 को हस्ताक्षर किये। विदेशी से विवाह करने पर भी पत्नी की नागरिकता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा और न ही वह राज्यविहीन होगी और पति की राष्ट्रीयता भी आरोपित नही की जायेगी।

### विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण पर अभिसमय (1962)

महिलाओं के प्रति वाल विवाह जैसी कुरीतियो का निराकरण करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा । नवम्बर, 1962 को विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण से संबंधित अभिसमय हस्ताक्षर एवं पुष्टिकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। इस अभिसमय का क्रियान्वयन 9 दिसम्बर, 1964 को हुआ।

यह समझौता राज्य पक्षकारो को विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने का आह्वान करता है। यह बाध्य करता कि सक्षम सत्ता द्वारा प्रदान किए गए गंभीर करणी, जो कि पति या पत्नी के हित में हो, को छोड़कर न्यूनतम आयु से नीचे किए गए विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगे। साथ ही यह समझौता राज्य पक्षकारो को सभी विवाहो को एक उचित कार्यालयी रजिस्टर मे पंजीकरण करने हेतु बाध्य करता है।

### महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावो की समाप्ति की घोषणा (1967)

मानव के मूलभूत अधिकारो, मानवीय गरिमा और मनुष्य के गुणों एवं स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में विश्वास अभिव्यक्त करते हुए 7 दिसम्बर 1967 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र के द्वारा महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को अन्याय एवं मानवीय गरिमा के प्रति अपराध घोषित करते हुए उन सभी परम्पराओ, कानूनों, नियमों एवं व्यवहारो को समाप्त करने की घोषणा की गई जो महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण है साथ ही महिलाओं (खं पुरुषों के अधिकारों को समान रूप से कानूनी संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समानता के सिद्धान्तों को सदस्य देशों के संविधान मे सम्मिलित करने की अपेक्षा की गई।

### युद्ध एवं सैन्य आपदा के समय महिलाओं एवं बच्चो से संबंधित उद्घोषणा, (1974)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसम्बर 1974 को युद्ध एवं सैन्य आपदा के समय महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित उ द्घोषणा की गई । जिसमे कहा गया कि आपातकाल एवं सशक्त संघर्ष के दौरान महिलाओं व बच्चो को प्रयाप्त सुरक्षा दी जायेगी। युद्धरत राष्ट्रों द्वारा सैन्य कार्यवाही के दौरान अथवा अधिकृत देश–प्रदेश की महिलाओं व बच्चो के साथ कुछ व्यवहारो जैसे कैद करना, यातना देना, गोली मारना, सामूहिक गिरफ्तारी, सामूहिक दण्ड, प्रथम बहिष्कार एवं उनके निवास स्थलों को ध्वंस सहित सभी प्रकार के निरोध तथा क्रूर व अमानवीय व्यवहार अपराध मान जायेगें। तथा गुद्धरत दोत्रो की महिलाओं व बच्चों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा, सुविधायो एवं अन्य आवश्यक अधिकारो से वंचित नही किया जायेगा।

### संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारो की सार्वभौम घोषणा

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को एक प्रस्ताव पारित कर मानव अधिकारो का सार्वभौगिक घोषणा–पत्र स्वीकार किया है। इस सार्वभौमिक घोषणा के कुल 30 अनुच्छेदा में सम्पूर्ण मानवाधिकारो को समाहित किया गया है। जिसमे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारो को भी शामिल किया गया है। इसके पहले व दूसरे अनुच्छेद मे समानता के अधिकार को समाहित किया गया है।

अनुच्छेद 3 से श तक में विभिन्न नागरिक और राजनीतिक अधिकारो को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 22 से 27 में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक अधिकारो की शामिल किया गया है तथा 28 से 30 तक की धाराओ में सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।– मानवाधिकारों की इस सार्वभोग घोषणा के द्वारा मनुष्यों के अहरणीय अधिकारों को जारी किया गया और पुरुषों के साथ महिलाओं को भी ये सभी अधिकार प्रदान किए गए।

### आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारो की घोषणा (1966) 8

16 दिसम्बर 1966 की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा द्वारा महिलाओं के पक्ष में रोजगार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

### नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की घोषणा (1966)

16 दिसम्बर, 1966 की नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत भी महिलाओं के लिए जीवन का प्राकृतिक अधिकार, यातना के अमानवीय व्यवहार से संरक्षण व निजत्व के संरक्षण अधिकार के प्रदत्त किया जाना विधिक व्यवस्था का एक अंग घोषित किया गया गया।

### महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी अभिसमय (1979) (CEDAW)

महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से 18 दिसम्बर, 1979 को इस आशय का अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह 63 सितम्बर, 1981 से क्रियान्वित हुआ।

समझौते को ध्यान मे रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव रोकने के लिए निम्नलिखित प्रतिबद्धता जाहिर की गई है।

1. अपनी वैधानिक व्यवस्था में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता के सिद्धान्त का समावेश करना तथा उन सभी कानूनों को समाप्त करना जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समर्थन करते हैं।
2. महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति के लिए न्यायाधिकरण तथा अन्य लोक संस्थाओं की स्थापना।
3. व्यक्ति, संगठन तथा उथमों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले भेदभाव की समाप्ति।

इस अभिसमय में उन सभी उपायों का समावेश किया गया जिनके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार मे भेदभाव क मिटाया जाएगा।

### महिला मानवाधिकारो के संदर्भ मे किए गए विश्व सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1975 को अंतरर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया तथा इसके उपलक्ष्य मे महिलाओं पर प्रथम विश्व सम्मेलन मैक्सिको में आयोजित किया गया। इसके पश्चात् तीन और विश्व सम्मेलन कोपनहेगन (1980), नैरोबी (1905) तथा बीजिंग (1995) में किए गए। इन्हें इस प्रकार देख जा सकता है।

### प्रथम विश्व महिला सम्मेलन, 1975 (मैक्सिको सम्मेलन)

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का महिला कल्याण के लिए प्रथम प्रयास था। मैक्सिको सिटी में वर्ष 1945 मे 19 जून से इजलाई के बीच हुई।

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन मे अनेक देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा वर्ष 1976 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1915–85 के दशक की अंतर्राष्ट्रीय

महिला दशक घोषित किया गया एवं महिलाओं के कल्याण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई इस सम्मेलन में स्त्री शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, लिंग आधारित भेदभाव मिटाने, नीति निर्धारर्ण में महिलाओं को शामिल करने, समान राजनीतिक, सामाजिक नागरिक अधिकार देने आदि के लिए घोषणाएँ की गई साथ ही संचार व सूचना के प्रचार माध्यमों द्वारा स्त्री की बदलती और विस्तृत होती भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रयुक्त किए जाने पर बल दिया गया।

### द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन, 1900 (कोपनहेगन सम्मेलन)

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन मे बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के लिए तथा अगली पाँच वर्षो की योजना बनाने के लिए कोपनहेगन में वर्ष 1980 मे 14 जुलाई से 31 जुलाई तक द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन मे महिलाओं के लिए तीन उप–विषय 'शिक्षा' नियोजन' एवं 'स्वास्थ्य' जोड़े गए। प्रथम महिला सम्मेलन में घोषित उद्देश्य कोपनहेगन के लिए सार्थक माने गए और आगे के दर्शको के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम का आधार भी बने। इसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पारिवारिक स्थानीय राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर महिला व पुरुषों दोनों में महिलाओं की भूमिका से संबंधित दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात की गई।

### तृतीय विश्व सम्मेलन, 1985 (नैरोबी सम्मेलन)

नैरोबी मे वर्ष 1985 में 15 जुलाई से 26 जुलाई के बीच हुए तृतीय विश्व महिला सम्मेलन में महिलाओं को आगे बढाने के लिए प्रतिनिधि मण्डलो ने 'नैरोबी, प्रगतिशील रणनीतियाँ नामक दस्तावेज का प्रतिपादन किया। इस दस्तावेज में वर्ष 2000 तक महिलाओं की प्रगति के क्षेत्र में काम किए जाने की गतिविधियों व रणनीतियों का ढांचा तैयार किया गया।

नैरोबी तृतीय विश्व सम्मेलन में महिलाओं के विकास एवं कल्याण हेतु निर्धारित उद्देश्य भिन्न थेः–

1. महिलाओं की सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर पर पुरुषों के समकक्ष' समान' स्तर पर सहभागिता के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को अपने–अपने देशों में संवैधानिक व कानूनी आधारों पर समानता के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिए गए।
2. कानूनी सुधारों के अंतर्गत महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा, अपनी पसंद का विवाह एवं तलाक देने के अधिकारो को देने की बात की गई।
3. महिलाओं में अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए तथा विकासशील देशों की महिलाओं को भी विकसित देशों की महिलाओं के उन्नत जीवन स्तर तक लाने के प्रयास किए जाए।
4. लड़कियों को लड़को के समान शैक्षणिकता के स्तर पर लाने हेतु सुविधाएँ दी जाए तथा रुदिबद्ध लिंग आधारित पाठ्य–चर्या का उन्मूलन किया जाए।
5. महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित व सुदृढ करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित व प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं महिलाओं द्वारा कृषि कार्य एवं अर्थ व्यवस्था में दिए गए योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए।
6. विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान के लिए व बाह्य अंतरिक्ष के सभी शांतिपूर्ण कार्यों में सरकार द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए।

### चतुर्थ महिला सम्मेलन, 1995 (बीजिंग सम्मेलन)

बीजिंग में 4 से 15 सितम्बर तक चलने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य थेः

1. प्रतिनिधि मण्डलों की प्रगतिशील रणनीतियों की उपलब्धियों का पुनरावलोकन करना।
2. समाज में ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलें।
3. 21 वी. सदी की वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास संबंधी चुनौतियों और जरूरतों का सामना करने के लिए साधन उपलब्ध कराना।
4. महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए योजनाएँ बनाना।
5. ऐसी कार्य योजना की रूपरेखा बनाना जिससे ''नैरोबी की प्रगतिशील रणनीतियों को लागू किया जा सके।

इस चतुर्थ विश्व सम्मेलन में, 189 सरकारों के प्रतिनिधियों ने बीजिंग घोषणा और कार्यगंच का अनुमोदन किया। जिसका उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान मे जाने वाली बाधाएँ समाप्त करना है।

### संस्थानात्मक तंत्र

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न संस्थानात्मक तंत्र विकसित किए गए जिसके परिणामस्वरूप महिला अधिकारिता एवं महिला विकास के लिए विभिन्न अभिकरणों अभिकरणों की स्थापना की गई। जो अपने क्षेत्र ने इस आशय के कार्य कर रहे हैं:–

### यूनिसेफ

1946 में युद्धोपरांत बच्चों को राहत देने के लिए स्थापित की गई संस्था युयूनिसेफ विकासशील देशों मे बच्चों एवं माताओं के जीवन की गुणवन्ता मे सुधार के लिए सहायता पहुँचाती हैं। यह संस्था युद्ध, हिंसा और शोषण की शिकार स्त्रियों एवं बच्चों की पीड़ा को घटाने के लिए परामर्श और देखयाल उपलब्ध कराने वाली विशेष परियोजनाओं को समर्थन देती हैं। कई देशों में लडकियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता जिससे उनका जीवन और क्षेत्र खतरे मे पड़ जाते हैं। यूनिसेफ इन लडकियों के जीवन और क्षेम के अधिकार की प्राप्ति के लिए तथा उनकी क्षमताओं को गौण बनाने वाले विश्वासों और व्यवहारों मे परिवर्तन के लिए कार्य करता हैं। यूनिसेफ लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने वाले भेदभाव और रीति–रिवाजों की समाप्ति में सहायता देने के लिए वचनबद्ध है।

### महिलाओं के निमित्त संयुक्त राष्ट्र विकास निधि (UNIFEM)

यह एक स्वैच्छिक निधि है जो महिलाओं के मानवाधिकारो उनके आर्थिक तथा राजनैतिक सबलीकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले नये ढंग के कार्यक्रशो को समर्थन एवं तकनीकी सहायता देती है। यूनीफेस तीन मुख्य क्षेत्रों में कार्य करता हैः–

1. उधभियो तथा उत्पादकों के रूप मे महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना।
2. शासन, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
3. विकास को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए महिला मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।

यूनिफेस 100 से अधिक देशों में महिलाओं को अपने और अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए सहायता दे रहा है। यह महिलाओं को लाभ पहुँचाने वाले नवाचारित कार्यक्रमों को सहायता व समर्थन देता है तथा महिलाओं की पहलो को प्रत्यक्ष तकनीकी व आर्थिक सहायता देता है।

1976 में यूनिफेस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा महिलाओं के विकास कोष के लिए की गई, ताकि महिलाओं के विकास के लिए बनी योजनाओं को सीधे तौर पर सहायता प्रदान

की जा सके। विकासशील देशों की महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए इस कोष को सीधे तौर पर प्रबिधिक सहायता तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा विकास संबंधी मामलों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया मे महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया। 1985 से इस कोष को यू. एन. डी. पी. (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) के साथ संयुक्त कर इसका नाम यूनिकम कर दिया गया जिसे स्वायत्तता प्रदान कर दी गई।

## यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ऑफ पॉपुलेशन फण्ड (UNPFA)

यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो जनसंख्या संबंधी ऑपरेशनल गतिविधियों का नेतृत्व करता है। यह अपने बुनियादी कार्यक्रम मे स्त्रियों के प्रजनन स्वास्थ्य जिसमे परिवार नियोजन, यौन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व शामिल है को प्राप्त करने मे मदद करता है। यून. एन. ए. पी. एफ. जनसंख्या एवं विकास पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन (काहिरा 1994) में पुष्ट एवं 1999 में बृहत्सभा के विशेष सत्र द्वारा समीक्षित कार्यक्रम को आगें बढ़ाने वाला संयुक्त राष्ट्र का' प्रमुख संगठन है। यह कार्यक्रम जनाषिकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्त्रियों एवं पुरुषों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्यों स्त्रियों का सबलीकरण तथा उन्हें उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाओं और रोजगार अवसरों मे पहुँच बढ़ाकर चयन के अधिक अवसर प्रदान करना है।

## महिलाओं का विकास विभाग (DAW) Division for Development of women)

महिलाओं का विकास विभाग महिलाओं के ऊपर हो रहे सम्मेलनों के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विकास परियोजनाओं में महिलाओं के मुद्दे के उपचार के रूप में कार्य करता है। यह वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थितियों में सुधार करके और समन्त विकास मे सहायता करके वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उनके एकीकरण स्थापित करता है। यह विभाग नीतियों पर शोध करता है तथा यह देखता है कि सम्मेलन मे महिलाओं के ऊपर लिए गए निर्णय ठीक तरीके से कार्यान्वित हो रहे है या नहीं। यह उन गैर–सरकारी संगठनों, संस्थाओं, अकादमियों से सदैव सम्पर्क बनाये रखता है जो महिलाओं के उद्धार तथा विकास के लिए प्रयासरत है।

## UN Women (2010) की स्थापना और भूमिका

2 जुलाई 2010 में सीापित UN WOMEN, संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण इकाई है, इसकी स्थापना महिलाओं को के राजनैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गयी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, UN Woman वैश्विक राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर नीतिगत सुधारो को लागू करनें में सफल रही है, इसके तहत अनेक परियोजनाएँ एंव कार्यक्रम चलायी जाती हैं जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता परीक्षा, और नेतृत्व में भागीदारी को सुनिश्चित करती है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना सम्मिलित है।

## एस डीजी Sustainable Development Goal 2015 लक्ष्य

2015 में सयुक्त राष्ट्र संघ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया, सम्पूर्ण 17 गोल्स में 5 केवल महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित है। इसमें आर्थिक संकट और स्वास्थ्य देखभाल की कमी से लेकर जलवायु परिवर्तन, महिलाओं के खिलाफ हिसा और सघर्ष शामिल है।

CSW (68)2024 commission on the status of women

## महिलाओं की स्थिति पर 68 वां वार्षिक आयोग

2024 में समपन्न हुआ इसमें प्राथमिकता के तौर पर लैंगिक समानता में और सशक्तिकरण तेजी लाना, और महिलाओं की गरीबी को दूर करना, विश्व स्तर पर आज भी 10.3 प्रतिशत महिलायें गरीबी में रहती है। 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गरीबी उन्मूलन की दशा मे युग ति 26 गुना होनी चाहिए।

## ILO: अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन

यह सयुक्त राष्ट संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्थ है। यह श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतिये को विकसित करने सब सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्यतापूर्ण बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमो को तैयार करने है, 187 सदस्य–राष्ट्रों की सरकारों नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।

WEF 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम– एक–अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो ग्लोबल इकोनोमी – को प्रभावित करने वाले प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करने वाले के लिए हर साल पालिटिकल और बिजनेस नेताओं की अपनी सदस्यता कों एक साथ लाता है इनमें, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक और सरोकार शामिल है।

## निष्कर्ष

वैश्विक पटल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न कार्यक्रमो नीतियों और पहलों ने वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहायता की है।

सुधारवादी दृष्टिकोण से यह अध्ययन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, क्योंकि, यह हमें बताता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय–संस्थाये और सथिया मिलकर राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की यह नीतिगत सुधारों को कार्यावयन करती है, और लैंगिक समानता की दशा में प्रगति को बढ़ावा देती है, उपयुक्त विश्लेषण यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों ने न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उन्होंने महिलाओं के वैश्विक विकास और सामाजिक न्याय की दशा मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

## आगे की राह

अंतराष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे सभी प्रयासों के बावजूद अभी भी महिलाओं की स्थिति सोचनीय बनी हुई है 120 ( अनराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में महिलाओं की श्रम में कमी इस वास्तविकता को दर्शाती है, अभी महिलायें लैगिक भेदभाव की शिकार है। और उन्हें काम के कम अवसर दिये जाते है।

अतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी प्रति वह देशो की सरकारों के साथ मिलकर, नियमों और कानूनों वैधानिक रूप से प्रतिबद्धता के साथ लागू करनें की आवश्यकता है, क्योंकि सभी देशों की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भिन्न–भिन्न है इसलिए यह आवश्यक कि प्रतिवद्ध देशों की राष्ट्रीय सरकार अपने देश की राज्य सरकारों के साथ मिलकर नदव की कार्यशैलियों को धरातलीय स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है जिससे सभी महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकें।

## सन्दर्भ सूची

1. चतुर्वेदी सतीधा, मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ जयपुर, पोईन्टर पब्लिकेशन 2002 पृ. 90।
2. दीक्षित सोना/दीक्षित अरुण कुमार, महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रकाशन मार्च 2005।
3. कांत मीरा, महिला दशक और हिन्दी पत्रकारिता, नई दिल्ली।

4. लॉसन एडवर्ड, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हयूमन राइटस, नई दिल्ली हायलर एण्ड फ्रान्सिस, नई दिल्ली।
5. https://www.unwomen.org
6. लोढा संजय, भारत में मानवाधिकार जयपुर पंचशील प्रकाशन।
7. श्री वास्तव वी० पी० हयूमन राइटस इश्यूसेज एण्ड इम्पलीमेंटसन भाग–1 दिल्ली इण्डिया पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूर्टस 2004 –पृ. 43।
8. https://www.drishtijas.com
9. नवभारत टाइम्स।
10. गौतम रमेश प्रसाद मानवाधिकारः विविध आयाम।
11. क्रॉनिकल पृ. 48 2023
12. एम के सिंह पृ. 114
13. मेजर कन्वेन्शन ऑफ वुमेन http://www.ecswa.org
14. द हिन्दू नवम्बर 2024
15. कपूर एस के डा० अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमन।